तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./652/2024/अलवर अमित व अन्य प्रकाश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-02-2024	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री पूनम माथुर अधिवक्ता प्रार्थीगण। –––– **<u>आदेश</u>** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वारा प्रकरण सं0 01/41/2022 उनवानी प्रकाश वगैरह बनाम कुशालचन्द वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03–01–2024 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की निगरानी के एडमीशन पर बहस सुनी। 3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हाल अप्रार्थी सं0 1 से 12 ने वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ के समक्ष पेश किया साथ ही धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। प्रकरण प्रस्तुत होने पर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27–03–2023 द्वारा हाल प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 16 ता 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त एकपक्षीय आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 16 ता 22 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–01–2024 के द्वारा आदेश 9 नियम 7	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./652/2024/अलवर अमित व अन्य प्रकाश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीपीसी का प्रार्थना पत्र बिना कोई कारण का उल्लेख किये निरस्त किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु सद्भावी कारण बताये गये थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को किसी भी प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर कारणों का उल्लेख करते हुए स्पीकिंग आर्डर पारित करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश केवल मात्र सरसरी तौर पर स्वविवेक का उपयोग तथा किसी कारण का उल्लेख किये बिना पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 03–01–2024 अपास्त किया जावे तथा प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 16 ता 22 के विरूद्ध वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जावे। 5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस पर मनन किया तथा विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं की सत्य प्रतियों का अवलोकन किया। 6– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना वास्ते उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 27–03–2023 को बावजूद रजिर्स्ड डाक के प्रतिवादी सं0 4 से 12 के न्यायालय में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./652/2024/अलवर अमित व अन्य प्रकाश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित नहीं हाने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। उक्त एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया है, उसे बिना कोई कारण उल्लेखित किये खारिज कर दिया है। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–01–2023 नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रीजण्ड आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 7– परिणामतः द्वारा प्रस्तुत निगरानी एडमीशन स्तर पर रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) की शर्त पर स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–01–2024 खारिज किया जाता है। उक्त कोस्ट की राशि हाल अप्रार्थी सं0 16 ता 22 द्वारा वादी को दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 8– आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	